संख्या-76 /2022/626/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-7

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊःदिनांकः 27 सितम्बर, 2022

विषयः- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना के बिन्दु संख्या-6 के क्रम संख्या-5 में संशोधन की प्रशासकीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/359/पी0एम0कुसुम/2022-23, दिनांक 08 सितम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-34/2022/174/12-3099/88/2021/100(10) 2014/टी0सी0-VI, दिनांक 28-04-2022 के बिन्दु संख्या-6 के क्रम संख्या-5 में निम्नवत् संशोधन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

6-अनुदान एवं कृषक अंश:-

(धनराशि रू0 में)

क्रम सं0	सोलर पम्प का प्रकार	सोलर पम्प की क्षमता	दर प्रति पम्प जी0एस0टी0 सहित	अनुदान एवं कृषक अंश प्रति पम्प			
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग अनुदान	कृषक अंश
5	9000 वाट 10 एच0पी0	ए0सी0 सबमर्सिबल पम्प	464304	111638	111638	223276	241028

2- उक्त के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 28.04.2022 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अद्यतन जिन कृषकों के द्वारा 10 एच0पी0 एस0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प की कृषक अंश की धनराशि बैंक में जमा की जा चुकी है, उनके 10 एच0पी0 के सोलर पम्प में 7.5 एच0पी0 में देय अनुदान के अनुसार कृषक अंश की धनराशि में रू. 55306/- की वृद्धि हो जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त कृषकों को योजना हित में निम्न विकल्प दिये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- कृषक, संशोधित अनुदान के अनुसार कृषक अंश की अतिरिक्त धनराशि **रू. 55306/-** जमा कर 10 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प की स्थापना करा लें, अथवा

2- कृषक, 10 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प के स्थान पर 7.5 एच0पी0 ए0सी0 सबमर्सिबल सोलर पम्प की स्थापना करा लें तथा कृषक द्वारा कृषक अंश के रूप में अधिक जमा की गयी धनराशि कृषक को वापस कर दी जाये, अथवा

3- कृषक द्वारा उक्त दोनों विकल्प स्वीकार न करने पर कृषक के चयन को निरस्त कर कृषक द्वारा जमा की गयी कृषक अंश की सम्पूर्ण धनराशि उसे वापस कर दी जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय(एम0एन0आर0ई0), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10-निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11-वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12-अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13-समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
14-सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
15-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in